राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

~~रामकिशन बनाम कमला~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	691/2025	
15/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
17/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया, जिस पर वादीगण/अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित सम्पूर्ण तथ्यों को इन्कार करते हुये प्रार्थना पत्र ख़ारिज किये जाने का निवेदन किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24/04/2025 पारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर वादीगण का वाद विधि विरुद्ध होना धारित करते हुये ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्या..लय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर जिन बिन्दुओ को उल्लेखित कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर वाद को प्रारम्भिक स्तर पर ही ख़ारिज किया गया है उनके सम्बन्ध में कानूनन तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विवेचित करते हुये निर्णय व डिक्री पारित किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर पारित किये गये निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरित जाहिर होने से निरस्तनीय प्रतीत होते है | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामकिशन बनाम कमला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	691/2025	

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/04/2025निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर